अपील सूचना अधिकार संख्या 118/2021 (GCMS 2021/194)(RTI Portal No. 18062378922281) भवानी सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, जिला जयपुर ग्रामीन (पानी पेच, नेहरू नगर, जयपुर) <u>बनाम</u> जिला पंजीयन अधिकारी – उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>21.02.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भवानी सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिलाधीश, जिला श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2021 के द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> खसरा नम्बर 212/381 (मुरबा नम्बर 18) व खसरा नं. 212/382 (मुरबा नम्बर 23) चक 4 एसटीबी का इंतकाल स्व. श्री भैरोसिंह से स्व. श्री मानसिंह के नाम सन् 1983 के अन्त में अथवा 1984 के प्रारम्भ में दर्ज हुआ था। इस प्रक्रिया में श्री हीर सिंह पुत्र भैरो सिंह, गौद माधोसिंह, जगमाल सिंह पुत्र भैरोसिंह, प्रताप सिंह पुत्र भैरोसिंह, गुलाब कंवर पुत्री भैरोसिंह, गेंद कंवर पुत्री भैरोसिंह, जतन कंवर पुत्री भैरोसिंह, मदन कंवर पुत्री भैरोसिंह व बसन्त कंवर पुत्री भैरोसिंह के हकत्याग पत्र संलग्न है। सभी हकत्याग पत्रों की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 19.08.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने एवं निरीक्षण करने हेतु सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम लागू न होकर वह विशेष प्रावधान लागू होंगें।
>
> बिना पंजीयन दिनांक के दस्तावेज की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए एवं निरीक्षण करने के लिए शुल्क निर्धारित है। अतः दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण फीस 50/–रू. एवं दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रति दस्तावेज 100/– का स्टाम्प एवं 100/– प्रतिलिपि फीस जमा करवाकर कार्यालय के पंजीयन अभिलेखागार से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> उप पंजीयक
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:32 IST
Reason: SelfAttested